औद्योगिक विकास को गीडा खुद बदल सकेगा भू-उपयोग

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। प्रदेश सरकार ने गीडा के एक्ट को मंजूरी देने के बाद औद्योगिक विकास के मास्टर प्लान से लेकर लैंड यूज बदलाव की सहूलियत मिल गई है। एक्ट के तहत कमेटी का गठन होना है। वहीं अब मास्टर प्लान या गीडा के विकास से संबंधित किसी योजना में संशोधन भी इसी एक्ट से होगा।

प्रदेश कैबिनेट के द्वारा गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र (प्रीपरेशन एंड फाइनलाइजेशन आफ प्लान) रेगुलेशन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने से काश्तकारों को बड़ी राहत मिलेगी। गीडा क्षेत्र के रेगुलेशन प्रस्ताव की स्वीकृति मिल जाने के बाद गीडा प्रशासन द्वारा जल्द ही मास्टर प्लान के तहत कमेटी का गठन किया जाएगा। भू उपयोग परिवर्तन के सारे मामलों को कमेटी की मंजूरी के बाद स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।

> कैबिनेट की स्वीकृति के बाद गीडा का अपना अधिनियम हो गया है। अब गीडा के पास लैंड यूज निर्धारित करने और बदलने का अधिकार आ गया है।
>
> -अनुज मलिक, सीईओ, गीडा

साथ ही, औद्योगिक विकास को लेकर मास्टर प्लान की नियमावली तैयार की जाएगी। नई नियमावली बनने पर गीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की स्थिति में अगर कोई इलाका रिहायशी है और मास्टर प्लान में औद्योगिक है, तो इस रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को उजड़ना नहीं पड़ेगा। गीडा ऐसे क्षेत्र के लैंड यूज को रिहायशी कर सकता है।